



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092021-229537
CG-DL-E-10092021-229537

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3368]
No. 3368]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 10, 2021/भाद्र 19, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 10, 2021/BHADRA 19, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2021

आय-कर

का.आ. 3680(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194थ की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि एयर इंडिया ऐसेट होल्डिंग लिमिटेड (पैन : AAQCA4703M) को केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अधीन एयर इंडिया लिमिटेड (पैन : AACCN6194P) द्वारा माल के अंतरण के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 194थ की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए 'क्रेता' के रूप में नहीं समझा जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 107/2021/फा. सं. 370149/158/2021-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव (कर नीति और विधायन)

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी रूप देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।